

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बलराज

बनाम

दुई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 169/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>बलराज 510 कालुराम जाट, रामाविह, लालपिंह</u> कचनबाई - कमली - रामकुवारी पिता <u>रामनारायण जाट</u> माजीबाई 510 रामनारायण, हजारी <u>हजारी</u> <u>रामनारायण जाट</u> निवासी- <u>बिलोदा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बिलोदा (प.ह. जालम्पुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>343</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>0.1000</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बिलोदा (प.ह. जालम्पुरा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>343</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>0.1000</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500.00</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>